



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 31, 2019 (CHAITRA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2019

**संख्या 52/जीएसटी-2.-** चूंकि, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2) में उपबंध है कि इनपुट कर प्रत्यय इतने इनपुट टैक्स तक निर्बन्धित रहेगा, जो कराधेय प्रदायों के कारण होता है;

और चूंकि, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3) में उपबन्ध है कि उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए मूल्य ऐसा होगा जो नियमों द्वारा विहित किया जाए ;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक – यह आदेश हरियाणा माल और सेवा कर (कठिनाइयों का चौथा निवारण) आदेश, 2019, कहा जा सकता है।
2. कठिनाइयों के निवारण के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची II के पैरा 5 की मद (ख) के अधीन आने वाली सेवाओं की प्रदाय के मामले में, शून्य दर प्रदायों तथा छूट प्राप्त प्रदायों सहित कराधेय प्रदायों के कारण प्रत्यय राशि, काम्पलैक्स, भवन, सिविल संरचना या उसके किसी भाग के निर्माण के क्षेत्र के आधार पर अवधारित की जाएगी।
3. यह आदेश प्रथम अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

**Notification**

The 31st March, 2019

**No. 52/GST-2.-** Whereas, sub-section (2) of section 17 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this Order referred to as the "said Act") provides that the input tax credit shall be restricted to so much of input tax as is attributable to the taxable supplies;

And whereas sub-section (3) of section-17 of said Act provides that the value for the purpose of sub-section (2) of section-17 of the said Act shall be such as prescribed by rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section-172 of the said Act, the Governor of Haryana, on recommendations of the Council, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title. -- This Order may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fourth Removal of Difficulties) Order, 2019.
2. For the removal of difficulties, it is hereby clarified that in case of supply of services covered by clause (b) of para 5 of Schedule II of the said Act, the amount of credit attributable to the taxable supplies including zero rated supplies and exempt supplies shall be determined on the basis of the area of the construction of the complex, building, civil structure or a part thereof, which is taxable and the area which is exempt.
3. This order shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.